

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण)

क्रमांक एफ 61() ग्रावि/म.न./नि.सा.अ./ /2016-17 जयपुर, दि. अक्टूबर, 2016
2661 2/11/16
जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषय :- पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर के दौरान सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर जारी कर इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों का भौतिक सत्यापन एवं Geo Tagged फोटो अपलोड करने के क्रम में।


ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा के साथ-साथ सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के डूंगरपुर प्रवास के दौरान क्षेत्र में आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में शिकायतें प्राप्त होने पर निम्न निर्देश प्रदान किये "इन्दिरा आवास योजना में हुई अनियमितताओं की जाँच करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जावे एवं ऐसी अनियमितताओं की रोकथाम के लिए GIS मैपिंग एवं अन्य प्रभावी व्यवस्था अपनाई जावे।"

उक्त सम्बन्ध में निर्देशानुसार इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण का कार्य राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु आयोजित किये जा रहे "पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर" के साथ-साथ ही आयोजित किये जावे। इस हेतु जिले में सामाजिक अंकेक्षण कार्य का कलैण्डर जारी कर इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक स्वीकृत आवासों का भौतिक सत्यापन एवं Geo tagged, time Stamped Photo आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराये जाने का कार्य सम्पादित कराया जावे।

इस कार्य के सम्पादन हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है :-


1. यह कार्य सामाजिक अंकेक्षण दल के माध्यम से जॉब आउट सोर्सिंग पर फोटो अपलोड किये जाने का कार्य सम्पादित कराया जावे।
2. आवास योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद की राशि में से सामाजिक अंकेक्षण मद की राशि जो महात्मा गांधी नरेगा में हस्तान्तरित की गई है, से व्यय भारित होगा।
3. प्रत्येक आवास की तीन Geo tagged, time Stamped Photo आवाससॉफ्ट पर लाभार्थी के साथ अपलोड किये जाने को एक वर्ग्य माना जावे।
4. सुलभ संदर्भ हेतु इस कार्य की ToF का प्रारूप संलग्न है (कार्य से अर्थ एक आवास की तीन Geo tagged, time Stamped Photo आवाससॉफ्ट पर मोबाइलएप "Awaasapp" से लाभार्थी के साथ अपलोड किये जाने हेतु)।

उक्तानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कर इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत वर्ष 11-12 से वर्ष 15-16 तक स्वीकृत सभी आवासों के भौतिक सत्यापन के क्रम में आवाससॉफ्ट पर (Geo tagged, time Stamped Photo अपलोड कराने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित करावे।


(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान-जयपुर।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान-जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव (आर.एच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
- 7 निजी सचिव, स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजीविका।
- 8 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेंगा।
- 9 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 10 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, सचिवालय, राजस्थान।
- 11 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि।
- 12 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू) को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- 13 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र) समस्त।


(मीता शर्मा)

निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण